प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर

रिट याचिका संख्या 5233/2000

कोरम: माननीय श्री एस.आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

तथा माननीय श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख, न्यायाधीश

----

1. मध्य प्रदेश राज्य, द्वारा सचिव जल संसाधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।

2. मुख्य अभियंता, हसदेव बेसिन जल संसाधन विभाग, बिलासपुर (म.प्र.)

3. संयुक्त निदेशक, कोष एवं लेखा तथा पेंशन, बिलासपुर, जिला बिलासपुर (म.प्र.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता

बनाम

1. श्री आर.सी. वर्मा, पिता श्री आर.एल. वर्मा, सेवानिवृत्त सहायक कार्यालय मुख्य अभियंता हसदेव बेसिन जल संसाधन बिलासपुर
पता विनोबा नगर तहसील व जिला बिलासपुर
2. राज्य प्रशासनिक अधिकरण
द्वारा रजिस्ट्रार रायपुर पीठ

उत्तरवादीगण

श्री विनय हरित, विद्वान उप महाअधिवक्ता शासन राज्य / याचिककर्ता क्र. 1 की ओर से

श्री आशीष श्रीवास्तव, विद्वान अधिवक्ता उत्तरवादी क्र. 1 की ओर से

मौखिक आदेश
(1 अगस्त, 2006 को पारित)

मुख्य न्यायाधीश श्री एस.आर. नायक द्वारा न्यायालय का निम्नलिखित मौखिक आदेश पारित किया गया:

उत्तरवादी क्रमांक 1 ने जल संसाधन विभाग में उप–अभियंता के रूप में सेवा की और 30.4.1998 को अधिवार्षिकी की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गया। उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात्, विभाग ने, इस आधार पर कि उत्तरवादी क्र. 1 का वेतन वर्ष 1980 में प्रशासनिक लिपिक द्वारा चयन सलेक्शन ग्रेड प्रदान करते समय गलत तरीके से निर्धारित किया गया था, दिनांक 04.09.1998 के अपने आदेश द्वारा, ₹ 1,07,267/– (एक लाख सात हजार दो सौ सड़सठ रुपये मात्र) की राशि, जो गलत भुगतान के कारण अधिक देय थी, की वसूली की मांग की गयी थी । जब विभाग के इस कार्य को मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण, रायपुर पीठ (संक्षिप्त में 'अधिकरण') के समक्ष मूल आवेदन संख्या क्रमांक 896/199 में चुनौती दी गई, तो अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उत्तरवादी क्रमांक 1 के वेतन का निर्धारण वर्ष 1980 में गलत किया गया था। ऐसा होने पर भी ,अधिकरण ने विभाग द्वारा यचिकाकर्ता के पेंशन लाभों से अत्यधिक राशि की वसूली करने की कार्रवाई पर आपत्ति इस आधार पर दर्ज की कि विभाग यह साबित करने में विफल रहा कि उत्तरवादी क्रमांक 1 ने किसी भी प्रकार से दुर्व्यपदेशन किया या अपने वेतन का गलत निर्धारण में योगदान दिया। अधिकरण ने उपरोक्त निष्कर्ष के आधार पर तथा **सर्वोच्च न्यायालय के नंद किशोर बनाम भारत संघ**[1] के निर्णय का सहारा लेते हुए वसूली आदेश को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि जो राशि पहले ही वसूल की जा चुकी है, उसे उत्तरवादी क्रमांक 1 को वापस कर दिया जाए। अतः, राज्य एवं उसके प्राधिकारियों द्वारा यह रिट याचिका दायर की गई है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

2. हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्क सुने । राज्य के विद्वान उप महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि चूंकि स्वीकृत रूप से उत्तरवादी क्रमांक 1 को राज्य द्वारा अत्यधिक राशि का भुगतान किया गया था, इसलिए उसे राज्य के हितों के विपरीत अवैध लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तरवादी क्रमांक 1 सिंचाई विभाग में एक ज़िम्मेदार अधिकारी के रूप में पदस्थ थे तो उनको यह जानना चाहिए था कि उसका वेतन गलत तरीके से निर्धारित किया गया था और इसलिए, उन पर यह दायित्व था कि वह विभाग को सही वेतन निर्धारित करने के लिए सूचित करे, ऐसा करने में विफल रहने के कारण, उन्हें अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली के विरुद्ध आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। इसके विपरीत, उत्तरवादी क्रमांक 1 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अधिकरण द्वारा दर्ज किए गए स्पष्ट निष्कर्ष के अनुसार, कोई साक्ष्य नहीं है कि उत्तरवादी ने अपने किसी असदभावपूर्वक कार्य के माध्यम से अत्याधिक राशि प्राप्त की थी, सूस्थापित विधि के अनुसार, विभाग को, विशेषकर इतने समय के अंतराल के पश्चात, उत्तरवादी से अत्यधिक भुगतान की गई राशि की वसूली करने की

1 1995 (31) A.T.C. 786

अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस तर्क के समर्थन में, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने सर्वोच्च न्यायालय के **साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य**[2] **के निर्णय का अवलंब लिया।**

3. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना, हम इस संतुष्ट है कि वर्ष 1980 में उत्तरवादी क्रमांक 1 के वेतन के गलत निर्धारण में उसकी कोई भूमिका नहीं थी। विभाग का यह मामला नहीं है कि उत्तरवादी के किसी दुर्व्यपदेशन या असदभावपूर्वक कार्य के कारण उसके वेतन का निर्धारण गलत तरीके से किया गया था। यदि विभाग ने स्वयं, शायद एक सद्भावपूर्ण भूल के कारण, वर्ष 1980 में उत्तरवादी क्रमांक. 1 के वेतन का गलत निर्धारण किया और उस आधार पर भुगतान करता रहा, न कि केवल एक या दो वर्ष के लिए, बल्कि 18 वर्षों तक, जब तक कि उत्तरवादी क्रमांक. 1 1998 में सेवानिवृत्त नहीं हो गया, तो इतने वर्षों के पश्चात, उत्तरवादी क्रमांक. 1 के पेंशन लाभों से 18 वर्षों की लंबी अवधि की एकमुश्त पूरी अत्यधिक राशि की वसूली करना पूर्णतः अन्यायपूर्ण एवं अनुचित होगा। हमें इस पहलू पर और अधिक विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अधिकरण द्वारा जिस निर्णय का भरोसा किया है और उत्तरवादी क्रमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय तथा अन्य लोगो ने जिन्होंने इस वाद का अनुसरण किया उन्होंने भी नियोक्ता राज्य द्वारा कर्मचारी को अत्यधिक भुगतान की गई राशि की लंबे समय के बाद वसूली करने की कार्रवाई की निंदा की है, जहां यह पाया गया कि संबंधित कर्मचारी ने कोई दुर्व्यपदेशन नहीं किया था या कुछ छुपाया था या अधिक राशि प्राप्त करने के लिए नियोक्ता को गुमराह नहीं किया था। उदाहरण के लिए**, साहिब राम बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य**[2] के मामले में, यह तर्क दिया गया था कि अपीलकर्ता के पास आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं नहीं थीं और इसलिए, उसे छूट का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए था, इसलिए अपीलकर्ता छूट का हकदार नहीं है ,और चूँकि प्रधानाचार्य ने उसे छूट प्रदान करने मे त्रुटि की थी तथा उस आधार पर अपीलकर्ता को वेतन पुनरीक्षित वेतमान पर दिया गया अपीलार्थी को दिये गये अत्याधिक राशि की वसूली का सपष्टीकरण था । सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि यह अपीलकर्ता के किसी दुर्व्यपदेशन के कारण नहीं था कि उसे प्रधानाचार्य द्वारा गलत व्याख्या के आधार पर उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया था, जिसके लिए अपीलकर्ता को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। यही सिद्धांत इस मामले पर भी पूर्णतः लागू होता है। यह किसी का भी दावा नहीं है और न ही कोई सबूत है कि उत्तरवादी क्र. 1 के वेतन का गलत निर्धारण वर्ष 1980 में उसके किसी दुर्व्यपदेशन, तथ्यों को छिपाने या गुमराह करने के कारण हुआ था। यदि भुगतान करने वाले प्राधिकारी ने स्वयं, विधि को ठीक से समझे बिना

2 1995 Supp (1) Supreme Court Cases 18

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

और यह जाने बिना कि वर्ष 1980 में उत्तरवादी क्र. 1 के पद से संबंधित उचित वेतनमान क्या था, उसे गलत वेतनमान दिया और 18 वर्षों तक अत्यधिक राशि का भुगतान करता रहा, तो इतने वर्षों के पश्चात, विशेषकर उत्तरवादी क्र. 1 के सेवानिवृत्त होने के बाद, एकमुश्त अधिक राशि की वसूली करना पूर्णतः अन्यायपूर्ण एवं अनुचित होगा। इस दृष्टिकोण से भी, हम अधिकरण के आदेश में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते हैं।

यह रिट याचिका सारहीन है और इसे तदानुसार खारिज किया जाता है। कोई वाद–व्यय नहीं।

सही /–
मुख्य न्यायाधीश

सही/–
दिलीप रावसाहेब देशमुख
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वियन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by Advocate Kokila Rakesh Sharma